

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 632]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 22, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ ए-3-25/2010-1-पांच, (96).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उपाबंध-एक में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग से भिन्न, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये, उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

#### सारणी

अनु- क्रमांक (1)	व्यापारियों का वर्ग (2)	कालावधि (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (4)
1	रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है।	1 नवम्बर, 2010 को या उसके पश्चात् औद्योगिक इकाई में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु किये गये प्रथम क्रय की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए,	(1) व्यापारियों को प्रवेश कर के संदाय से छूट तब उपलब्ध होगी, जब उनके द्वारा प्रवेशकर अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2 तथा अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट किसी माल का उनकी औद्योगिक इकाई में माल के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग या विनिर्मित माल की पैकिंग में उपयोग हेतु किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाय।
2	रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने ऐसी बीमार/बंद औद्योगिक इकाई का अधिग्रहण या क्रय किया है जिसमें स्थायी पूंजी में नया निवेश इकाई की पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक हो, जो रुपये दस करोड़ से कम न हो, और जिसके संबंध में उच्च स्तरीय समिति ने उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2010" स्वीकृत किया हो।		(2) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु व्यापारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश

(1)	(2)	(3)	(4)
			कराया गया माल, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन जारी उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कच्चे माल या आनुषंगिक माल या संवेष्टन सामग्री के रूप में विनिर्दिष्ट होना चाहिये.
		(3)	इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा उसी स्थिति में उपलब्ध होगी, जबकि व्यापारी उपाबंध-दो में दिये गये उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे इस प्रयोजन हेतु जारी पात्रता प्रमाण-पत्र धारण करता हो.
		(4)	इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा केवल पात्रता प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट पात्रता की कालावधि के दौरान उपरोक्त प्रयोजनों के लिए, उक्त मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के संबंध में उपलब्ध रहेगी.
		(5)	इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा ऐसी औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध होगी, जिसने व्यापारिक उत्पादन 1 नवम्बर, 2010 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 नवम्बर, 2015 के पूर्व प्रारंभ किया हो.

**स्पष्टीकरण**—अनुक्रमांक 2 के प्रयोजन के लिये, स्थायी पूंजी में पूर्व निवेश से अभिप्रेत है,—

- (क) पुनर्वासित इकाई के सम्बन्ध में, औद्योगिक, वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा इकाई को बीमार घोषित किये जाने की दिनांक को स्थायी आस्तियों का ह्रासित मूल्य;
- (ख) क्रय कर अधिग्रहण की स्थिति में, इकाई का क्रय मूल्य या क्रय दिनांक को स्थायी आस्तियों को ह्रासित मूल्य, जो भी अधिक हो.

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु—

- (एक) “रजिस्ट्रीकृत व्यापारी” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यापारी.
- (दो) “आनुषंगिक माल” से अभिप्रेत है केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये कच्चे माल तथा संवेष्टन सामग्री से भिन्न माल जो माल के विनिर्माण में उपयोग के लिये है.

3. ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो,—

- (1) खाद्य तथा कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग की दशा में, रुपये 100 करोड़; या
- (2) रुपये 500 करोड़,

से अधिक के स्थायी पूंजी में निवेश से किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना करता है, सारणी में विनिर्दिष्ट कालावधि के अतिरिक्त और दो वर्षों के लिए प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने का पात्र होगा.

4. ऐसा रजिस्ट्रीकरण व्यापारी जो ऐसी नई औद्योगिक इकाई, जिसमें विनश्वर माल (पेरिशेबल्स) अर्थात् उपाबंध-तीन में विनिर्दिष्ट सब्जियों, फलों और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता हो, स्थापित करता है, सारणी में विनिर्दिष्ट कालावधि के अतिरिक्त और दो वर्षों के लिए प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने का पात्र होगा.

5. स्थापित/विद्यमान वृहद् एवं मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाई द्वारा क्षमता विस्तार/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन हेतु स्थायी पूंजी निवेश का तीस प्रतिशत या न्यूनतम रूपए पचास करोड़, जो भी कम हो, स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसे क्षमता विस्तार/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन नई औद्योगिक इकाई के समान सुविधा का लाभ लेने के लिये पात्र होगी. इसी प्रकार स्थापित/विद्यमान लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई द्वारा क्षमता विस्तार/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन पर पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश का न्यूनतम पचास प्रतिशत निवेश (जो रुपये पच्चीस लाख से कम नहीं हो) किये जाने पर, ऐसे क्षमता विस्तार/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन नई औद्योगिक इकाई के समान सुविधा का लाभ लेने के लिये पात्र होगी. विद्यमान औद्योगिक इकाई की पूर्व स्थापित क्षमता से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ उपलब्ध होगा, जिसके अंतर्गत औद्योगिक इकाई को असफल होने पर इस अधिसूचना के अधीन लाभ नहीं मिलेगा.

**स्पष्टीकरण:—**स्थाई पूंजी निवेश के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यापारी ने विस्तार/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन में किये गये, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई की दशा में उत्पादन दिनांक से लगातार पिछले दो वर्ष एवं अगले एक वर्ष, मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाई के प्रकरण में उत्पादन दिनांक से लगातार पिछले तीन वर्ष एवं अगले दो वर्ष तथा वृहद् स्तरीय औद्योगिक इकाई की दशा में उत्पादन दिनांक से पिछले तीन वर्ष एवं अगले तीन वर्षों में किए गए स्थाई आस्तियों में निवेश को विचार में लिया जायेगा.

6. इस अधिसूचना के अधीन छूट निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधधीन रहते हुए उपलब्ध होगी, अर्थात्:—

(एक) (क) व्यापारी इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उपाबंध-दो में विनिर्दिष्ट प्ररूप तथा रीति में स्थायी पात्रता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे माल को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके संबंध में छूट उपलब्ध है और उसके कर निर्धारण के समय कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा.

(ख) ऐसे प्रमाण-पत्र की एक प्रति व्यापारी द्वारा अपनी उस तिमाही की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाएगी जिसके दौरान ऐसा प्रमाण-पत्र उसे जारी किया गया था.

(दो) यदि व्यापारी को पात्रता प्रमाण-पत्र, उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के कारण या उसके द्वारा दी गई अशुद्ध अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर जारी किया गया है तो प्रमाण-पत्र उस तारीख से प्रतिसंहत कर दिया जावेगा, जिससे वह जारी किया गया था और तदुपरि इस अधिसूचना के अधीन दी गई छूट वापस हो जाएगी और वह संपूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ रद्दकरण की तारीख तक ले लिया गया है, व्यापारी से एक किश्त में वसूली योग्य होगी.

(तीन) (क) यदि कोई व्यापारी नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करता है या किसी बीमार/ बंद औद्योगिक इकाई का अधिग्रहण करता है, किन्तु उसी उत्पाद के उत्पादन में लगी राज्य के भीतर की किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई को बंद कर देता है या उसका उत्पादन जानबूझकर सारवान रूप से घटाता है तो पात्रता प्रमाण-पत्र ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने वाली समिति द्वारा निरस्त किया जाने के लिए दायी होगा तथा ऐसा निरस्तीकरण उस तारीख से प्रभावशील होगा जिससे उत्पादन में ऐसी सारभूत कमी हुई है.

(ख) उत्पादन में सारभूत कमी हुई तब समझी जावेगी, यदि उसी उत्पाद का उत्पादन पूर्ववर्ती 5 वर्ष के औसत उत्पादन के स्तर से या स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत से, जो भी कम हो, नीचे गिर गया है.

(चार) ऐसा कोई व्यापारी जो किसी औद्योगिक इकाई के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने का विकल्प लेता

है और जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन किसी अन्य कारबार के कार्यकलापों के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पूर्व से ही धारण करता है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण के होते हुए भी, ऐसी औद्योगिक इकाई के लिये विनिर्माता के रूप में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा।

- (पांच) व्यापारी छूट के लिए पात्रता की कालावधि के दौरान औद्योगिक इकाई को चालू रखेगा और छूट की पात्रता की कालावधि के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिये भी उसे चालू रखेगा।
- (छह) (क) उद्योग आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यापारी,—
- (1) सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई या उसके भाग की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा; या
  - (2) कोई सारभूत कमी नहीं करेगा; या
  - (3) औद्योगिक इकाई में कुल पूंजी निवेश के किसी सारभूत भाग का व्ययन नहीं करेगा; या
  - (4) उस कालावधि के दौरान जिसमें छूट की सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है, तथा छूट की पात्रता की कालावधि के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर स्वामित्व में कोई परिवर्तन भी नहीं करेगा।
- (ख) यदि स्वामित्व में परिवर्तन अनुज्ञात किया जाता है तो इस अधिसूचना के अधीन समस्त अधिकार तथा दायित्व नये स्वामी को संक्रांत हो जाएंगे।
- (सात) व्यापारी, मध्यप्रदेश राज्य के वास्तविक निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, जो पात्रता की कालावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान उसकी औद्योगिक इकाई में कुल कर्मचारियों की संख्या के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा। तथा ऐसा व्यापारी प्रत्येक वर्ष की अंतिम विवरणी के साथ इस प्रभाव का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा शपथ-पत्र, वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा नमूने के आधार पर सत्यापित किया जा सकेगा।
- (आठ) व्यापारी, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के साथ एक करार निष्पादित करेगा।
- (नौ) व्यापारी, प्रवेशकर अधिनियम, के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियां नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा।
- (दस) प्रत्येक व्यापारी क्रय की गई सामग्री के, जिसके संबंध में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, ब्यौरे उपदर्शित करते हुए एक खाता (लेजर) संधारित करेगा।
- (ग्यारह) यदि कर की रकम जिसके संबंध में छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, एक वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक हो जाती है तो पात्रता प्रमाण-पत्र तभी विधिमान्य होगा, जब व्यापारी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, सुसंगत कालावधि में इकाई में उत्पादन का प्रमाण-पत्र समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दे।
- (बारह) (क) इस अधिसूचना के उपबंधों का तथा शर्तों में से किसी शर्त का या प्रवेशकर अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या बाल श्रमिकों के नियोजन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति का भंग होने पर इस अधिसूचना के अधीन ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की मंजूरी देने वाली समिति द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने के दायित्वहीन होगा।
- (ख) यदि परिस्थितियां उत्पन्न हुईं तो ऐसे निरस्तीकरण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकेगा।

#### उपाबंध—एक

ऐसा व्यापारी जो नीचे विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों में से किसी इकाई को स्थापित करता है, प्रवेशकर के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं होगा:—

1. आरा मिल
2. लोहा/स्टील स्क्रैप को ईट (ब्लाक) के रूप में दबाना

3. खाद्य तेल रिफाइन करना
4. शराब का सम्मिश्रण या विनिर्माण (अंगूर से बनने वाली शराब एवं वाईन, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक न हो, को छोड़कर)
5. चाय का सम्मिश्रण या विनिर्माण
6. किसी माल की पुनः पैकिंग
7. चिरौंजी एवं मूंगफली की छिलाई
8. तिल्ली की भूसी को अलग करना
9. सुपारी काटना
10. पान बीड़ा तैयार करना
11. जलाऊ लकड़ी की कटाई
12. पेड़ों से गोंद का निस्तारण या संग्रहण
13. तेन्दू पत्ते का संग्रहण
14. लस्सी तैयार करना
15. विनियरिंग तथा प्लायवुड उद्योग
16. ईट निर्माण (मशीनीकृत संयंत्रों व फायर ब्रिक्स विनिर्माण को छोड़कर)
17. कोक और कोल ब्रिकेट का विनिर्माण (मशीनीकृत संयंत्रों को छोड़कर)
18. प्लाई वुड तथा इमारती लकड़ी (टिम्बर) के बक्सों का विनिर्माण
19. लकड़ी के कोयले का विनिर्माण
20. खाने के नमक का शुद्धीकरण
21. बारदाना और टाट की मरम्मत
22. पैकिंग हेतु लकड़ी का विनिर्माण
23. सभी प्रकार के मसालों का विनिर्माण [पेटीबंद (पैकेज्ड) मसालों को छोड़कर]
24. सभी प्रकार के मसालों को, जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची तथा अन्य मसाले सम्मिलित हैं, पीसना [पेटीबंद (पैकेज्ड) मसालों को छोड़कर]
25. खनिजों का चूर्ण बनाना
26. सुतली एवं रस्सी विनिर्माण
27. सभी प्रकार के फर्श, दीवाल एवं छत पर लगने वाले टाइल्स, जिसमें खपरेल और कवेलू सम्मिलित हैं, का विनिर्माण (स्टोन पार्क में स्थापित मशीनीकृत सिरेमिक एवं स्टोन टाइल्स निर्माण उद्योग को छोड़कर जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में रुपये एक करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो)
28. स्टोन क्राशिंग (गिट्टी तोड़ना)
29. लाख तथा चपड़ी विनिर्माण
30. सभी प्रकार के मुद्रण प्रक्रियाएं (रोटोग्रेवियर/फ्लेक्स प्रिंटिंग जिसमें संयंत्रों एवं मशीनरी में रुपये एक करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो, को छोड़कर).
31. बर्फ विनिर्माण

32. कलर लेबोरेटरीज
  33. आभूषणों का विनिर्माण और सोना तथा चांदी के बुलियन की अन्य वस्तुएं
  34. बर्तन विनिर्माण (औद्योगिक इकाई जिसमें संयंत्रों एवं मशीनरी में रुपये पच्चीस लाख से अधिक पूंजी निवेश हो, को छोड़कर)
  35. लकड़ी तथा स्टील (इस्पात) के फर्नीचर का विनिर्माण
  36. खिड़की तथा दरवाजे एवं उनकी चौखटों का विनिर्माण
  37. स्टोन कटिंग तथा पॉलिशिंग (औद्योगिक इकाई जिसमें संयंत्रों एवं मशीनरी में रुपये पचास लाख से अधिक पूंजी निवेश हो, को छोड़कर)
  38. (एक) लोहा एवं इस्पात की गेल्वनाइजिंग जो किसी एकीकृत संयंत्रों या प्रक्रिया का अंग न हो और उसमें केवल गेल्वनाइजिंग संयंत्रों एवं मशीनरी में, एक करोड़ रुपये से कम का विनिधान हो.
- (दो) लोहा तथा स्पात का प्रसंस्करण जिसमें निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रिया, जहां औद्योगिक इकाई संयंत्रों एवं मशीनरी में एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक पूंजी निवेश से स्थापित की गई है, को छोड़कर.—
- (क) लोहा तथा इस्पात के स्क्रैप पिग आयरन, और/या स्टील सेमीस (इनगाट्स, स्लैब्स, ब्लूमस और बिलेट्स) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात के किसी भी प्रकार के डिफेक्टिक्स, रिजेक्ट्स, कटिंग या दोनों छोर के टुकड़ों के उपयोग से स्टील सेमीस(इनगाट्स, स्लैब्स, ब्लूमस और समस्त गुणवत्ता, माप तथा आकार के बिलेट्स), वायर राड्स, इनगाट्स, मोल्डस, बाटम प्लेट, डिस्कस, फोर्जिंग तथा स्टील कास्टिंग्स और/या स्टील स्ट्रक्चरल्स (एंगल्स, ज्वाइंट्स, चैनल्स, टी एवं झेड सेक्शन) और स्टील बार्स, (राउण्ड्स, स्क्वैयर्स, फ्लेट्स, आक्टोगन्स तथा हैक्सागन्स, प्लेन एवं रिब्ड या सीधी लम्बाई में क्वाइल के रूप में ट्वीस्टेड), शीट्स, हूप्स, स्ट्रीप्स तथा स्केल्प्, दोनों प्रकार की काली तथा गेल्वेनाइज्ड, हाट तथा कोल्ड रोल्ड, प्लेन एवं नालीदार, सीधी लम्बाई में एवं क्वाइलड के रूप में रोल्ड तथा रिवेटेड रूप में, का विनिर्माण.
  - (ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) में यथा विनिर्दिष्ट कोल्ड रोल्ड या हाट रोल्ड शीट (चाहे वह सीधी लम्बाई में हो या क्वाइल के रूप में) तथा हूप्स एवं स्ट्रीप्स के उपयोग से स्टील ट्यूब, पाईप, शीट पाईलिंग सेक्शन अथवा अन्य किसी प्रकार के रोल्ड सेक्शन का विनिर्माण.
  - (ग) स्टील राड्स से स्टील वायर का खींचना
- (तीन) संयंत्रों एवं मशीनरी में दस करोड़ रुपये से अनधिक के पूंजी निवेश से स्थापित औद्योगिक इकाई से भिन्न किसी इकाई द्वारा हाट रोल्ड शीट्स (चाहे वह लम्बाई में या क्वाइल रूप में) से कोल्ड रोल्ड शीट्स का विनिर्माण (चाहे वह लम्बाई में या क्वाइल रूप में).

**स्पष्टीकरण.—** भवन एवं अन्य अधोसंरचना में संयंत्रों तथा मशीनरी सम्मिलित नहीं होगी

39. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (दो-सी) में यथा विनिर्दिष्ट कच्चा (क्रूड) तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद एवं उसके उपोत्पाद का शुद्धीकरण.
40. भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित इकाई एवं इन उपक्रमों के संयुक्त क्षेत्र की इकाइयां
41. भारत सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व के औद्योगिक उपक्रम
42. किसी उद्यमी द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (औद्योगिक इकाई को छोड़कर) जो सारणी के अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में विनिर्दिष्ट है.
43. मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विद्यमान किसी इकाई का अन्तरण, स्थानान्तरण या उद्ध्वंसन करके या बंद करके स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाई (औद्योगिक इकाई, जिसमें विद्यमान इकाई के विरुद्ध कोई कर बकाया नहीं हो और नई इकाई के उत्पाद विद्यमान इकाई के उत्पाद से भिन्न हों, को छोड़कर)

44. कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग, प्लांट तथा मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी निवेश वाले मशीनीकृत उद्योगों को छोड़कर.
45. सभी प्रकार के साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन संयंत्रों (औद्योगिक इकाई, जिसमें संयंत्रों एवं मशीनरी में रुपये एक करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो, को छोड़कर)
46. उद्जनित वनस्पति तेल का विनिर्माण
47. सभी प्रकार के रंग एवं पेंट का विनिर्माण, जहां प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रुपये एक करोड़ से कम हो
48. बायो-उर्वरक को छोड़कर अन्य उर्वरक का विनिर्माण
49. कूलर्स का विनिर्माण
50. सभी प्रकार का पान मसाला एवं गुटका का विनिर्माण
51. 20 माइक्रान अथवा उससे कम माइक्रॉन के ग्रेन्यूल्स से प्लास्टिक बैग्स का विनिर्माण
52. फ्रूट पल्प पर आधारित पेय से भिन्न सभी प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण
53. सभी प्रकार के पारम्परिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे आटा मिल, बेसन मिल, (रोलर फ्लोर मिल और रोलर बेसन मिल को छोड़कर), दाल मिल, चावल मिल, एक्सपेलर तेल मिल, और पोहा एवं मुरमुरा उद्योग (औद्योगिक इकाई, जिसमें संयंत्रों एवं मशीनरी में रुपये पचास लाख से अधिक पूंजी निवेश हो, को छोड़कर)
54. तम्बाकू उत्पाद एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद का विनिर्माण
55. विस्तार या विविधीकरण या आधुनिकीकरण करने वाली औद्योगिक इकाई (इस अधिसूचना के पैरा 7 के अधीन पात्र औद्योगिक इकाई को छोड़कर)
56. स्लॉटर हाऊस एवं मीट पर आधारित उद्योग
57. औद्योगिक इकाई जिन्हें राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम द्वारा व्यतिक्रमी घोषित किया गया हो
58. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित किये जाएं.

#### उपाबंध-दो

1. (एक) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है या बीमार/बंद औद्योगिक इकाई अधिगृहीत की है, और इस अधिसूचना के अधीन प्रवेशकर के भुगतान से छूट प्राप्त करने की सुविधा की वांछा करता है, प्ररूप-क में जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को, जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई स्थित है, आवेदन करेगा तथा आवेदन सामान्यतः इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिन के भीतर किया जाएगा.

(दो) जहां ऐसा आवेदन उपर्युक्त तारीख के पश्चात् किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण-पत्र मंजूर करने के संबंध में विनिश्चय लेने के लिये सक्षम समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन व्यापारी द्वारा पर्याप्त कारणों से समय पर नहीं किया जा सका, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे विलम्ब को माफ कर सकेगी और आवेदन पर गुणागुण के आधार पर विचार कर सकेगी तथा उसका निपटारा कर सकेगी.

2. आवेदन प्राप्त करने वाला महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के आवेदन की प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप अभिस्वीकृति देगा.

3. आवेदन प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, जिला स्तरीय समिति या राज्य स्तरीय समिति को एक रिपोर्ट, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा.

4. उक्त आवेदन की एक प्रति व्यापारी द्वारा उस वृत्त के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी भेजी जायेगी.

5. समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की जांच सत्यापन करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मामलों में उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को और वृहद् स्तरीय औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मामलों में आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करेगा.

6. मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा गठित की गई राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति और जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति, इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के संदाय से छूट के लिये व्यापारियों द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करेगी.

7. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी, किन्तु वाणिज्यिक कर विभाग के सदस्य की अनुपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी.

8. राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति के लिये गणपूर्ति 4 से होगी, किन्तु वाणिज्यिक कर विभाग एवं वित्त विभाग के सदस्यों की अनुपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी.

9. जिला स्तरीय समिति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की पात्रता तथा राज्य स्तरीय समिति वृहद् स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी.

10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तरीय इकाइयां स्थापित करने वाले व्यापारियों द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिये दिए गए आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसे मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जायेगा.

11. वृहद् स्तरीय औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले व्यापारियों द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिये दिये गये आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश व्यापार तथा विनिधान संवर्धन निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया जाएगा.

12. (1) समिति सामान्यतः मास में एक बार अपनी बैठकें करेगी, किन्तु लम्बित आवेदनों की संख्या की दृष्टि से बैठक बार-बार बुलाई जा सकेगी और समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय कर सकेगी कि पात्रता प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए या उसके लिये किए गए आवेदन को खारिज किया जाए या अतिरिक्त जानकारी मंगवाई जाए.

(2) जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति अथवा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति की तारीख से 120 दिन के भीतर किया जाएगा.

13. राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति को या तो स्वप्रेरणा से या संदर्भित किए जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की या जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति को इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना की व्याप्ति तथा लागू होने के संबंध में निदेश देने की पूर्ण शक्तियां होंगी. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति के विनिश्चय के विरुद्ध संदर्भित किए जाने पर राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा.

14. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति अपने स्वयं के विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु ऐसे मामलों से संबंधित वास्तविक स्थिति उसके द्वारा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति को विनिश्चय के पुनर्विलोकन की तारीख से 30 दिन के भीतर संसूचित की जाएगी.

### उपाबंध-तीन

#### विनश्वर माल की सूची

क्र.	सब्जियां
1.	टमाटर, मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन
2.	मटर (गार्डन पीज)
3.	आलू
4.	गाजर, मूली, चुकन्दर, शकरकंद, शलजम, शिमला मिर्च, सलाद पत्ता (लेट्यूस), सेलरी, ककड़ी खीरा
5.	कागजी नीबू, नीबू, पुदीना, अदरक, पका टमाटर
6.	मुनगा (ड्रमस्टिक्स)
7.	लौकी, करेला



- ख. फल**
1. आम (कच्चा एवं पका), केला (कच्चा)
  2. सभी मौसमी ताजे फल
  3. शरीफा (सीताफल)
  4. कागजी नीबू, नीबू, माल्टा
  5. पपीता
  6. बेल, बेर, गूज बेरी
- ग. पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद**
1. दूध
  2. अण्डा, पॉल्ट्री मीट (कुक्कुट गोश्त)
  3. गोट मीट (बकरी या बकरे का गोश्त)
  4. ताजे पानी की मछली, झिंगा श्रिम्पस आदि

फार्म "क"

वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन प्रवेशकर के भुगतान से छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन.—

मैं, ..... (व्यापारी का नाम) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन टिन ..... के धारक ने ..... (स्थान) पर ..... नाम से मध्यप्रदेश के जिले में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है, जिसके संबंध में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं :—

1. मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्राधिकृत/ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र का क्रमांक तथा तारीख जिसके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि औद्योगिक इकाई एक नई औद्योगिक इकाई है/\*औद्योगिक इकाई के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा "विशेष पैकेज, 2010" स्वीकृत किया गया है.
2. औद्योगिक इकाई की अधिष्ठापित क्षमता
3. नई औद्योगिक इकाई/\*अधिगृहीत औद्योगिक इकाई में स्थिर आस्तियों में पूंजी विनिधान.
4. अधिगृहीत औद्योगिक इकाई में स्थिर आस्तियों में पुराना पूंजी विनिधान.
5. औद्योगिक इकाई में विनिर्मित माल की विशिष्टियां.
6. प्रति वर्ष अपेक्षित विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपभोग अथवा उपयोग अथवा आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग अथवा विनिर्मित माल की पैकिंग में उपयोग के लिये माल की विशिष्टियां.

विवरण	माल का नाम	मात्रा
1. कच्ची सामग्री	.....	.....
2. आनुषंगिक माल	.....	.....
3. संवेष्टन सामग्री	.....	.....

7. ऊपर वर्णित में से किसी भी कच्चे माल के .....  
प्रथम क्रय की तारीख.
8. नई औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन .....  
प्रारंभ करने की तारीख.

आवेदक प्रार्थना करता है कि वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... तारीख ..... के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने हेतु उक्त अधिसूचना के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए.

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

तारीख .....

\*(जो लागू न हो उसे काट दें)

### फार्म "ख"

#### प्रवेश कर से छूट हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन जारी किया गया)

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन वाणिज्यिक कर अधिकारी ..... द्वारा जारी टिन ..... तारीख ..... का धारक व्यापारी अपनी नवीन औद्योगिक इकाई/ \*अधिगृहीत बीमार/बंद औद्योगिक इकाई के संबंध में, जिसका नाम ..... है और जिसके कारबार का स्थान ..... स्थानीय क्षेत्र ..... में है, एक विनिर्माता है और वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... तारीख ..... के अधीन ..... से प्रारम्भ होने तथा ..... की समाप्ति वर्ष की कालावधि के लिये प्रवेशकर से छूट प्राप्त करने का हकदार है.

2. व्यापारी ने नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है/ \*बीमार/बंद औद्योगिक इकाई अधिगृहीत की है और वह अन्य माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग की गई निम्नलिखित कच्ची सामग्री तथा आनुषंगिक माल और विनिर्मित माल की पैकिंग में उपयोग की गई संवेष्टन सामग्री के संदर्भ में उक्त सुविधा प्राप्त करने की पात्रता रखता है और जो कच्ची सामग्री, आनुषंगिक माल तथा संवेष्टन सामग्री मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है :—

#### विवरण

#### माल का नाम

#### मात्रा

- |                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 1. कच्चा माल        | ..... | ..... |
| 2. आनुषंगिक माल     | ..... | ..... |
| 3. संवेष्टन सामग्री | ..... | ..... |

3. व्यापारी ने उपरोक्त कच्चे माल में से एक का प्रथम क्रय ..... को किया है.

4. व्यापारी ने नई औद्योगिक इकाई अधिगृहीत औद्योगिक इकाई में उत्पादन तारीख ..... को प्रारंभ किया है.

5. यह प्रमाण-पत्र तारीख ..... से तारीख ..... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) की कालावधि के लिये वैध है.

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

तारीख .....

पदनाम .....

मुद्रा

\*(जो लागू न हो उसे काट दें)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच-(96).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (96), दिनांक 13 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2010

FA-3-25-2010-1-V-(96).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby, exempts in whole from payment of entry tax under the said Act the class of dealers specified in column (2) of the Table below other than those specified in Annexure I, for the period specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Class of dealers	Period	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Registered dealer who establishes a new industrial unit in any of the districts in the State of Madhya Pradesh.	For a period of five years from the date of effecting the first purchase of raw material as on or after 1st November, 2010 for consumption in the industrial unit.	(1) The exemption from payment of entry tax shall be available to the dealer when any goods specified in Schedule II and Schedule III appended to the Entry Tax Act are entered into a local area by him for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in the manufacture of goods or for use in the packing of goods manufactured in his industrial unit.
2.	Registered dealer who has acquired or purchased a sick/closed industrial unit in which new investment in fixed capital is more than 50% of the previous capital investment of the unit, which is not less than rupees ten crores and in respect of which the High Level Committee has sanctioned a "Special Package, 2010" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010.		(2) The goods entered by the dealer into a local area for the purpose specified in clause (1) above should be specified as raw material or incidental goods or packing material in his registration certificate under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002. (3) The facility of exemption under this notification shall be available only when the dealer holds an eligibility certificate for that purpose issued to him by the competent authority in accordance with the provisions in Annexure II. (4) The facility of exemption under this notification shall be available in respect of the entry of the said goods into the local area for the aforesaid purposes only during the period of eligibility specified in the eligibility certificate. (5) The facility of exemption under this notification shall be available to the industrial unit which has commenced commercial production on or after 1st November, 2010, but before 1st November, 2015.

**Explanation**—For the purpose of serial No. 2, the old investment in fixed capital means,—

- (a) in respect of rehabilitated unit, the depreciated value of the fixed assets as on the date the unit is declared sick by Board of Industrial Finance and Reconstruction (BIFR);
- (b) in case of acquisition by purchase, the purchase value of the unit or the depreciated value of the fixed assets as on the date of purchase, whichever is more.

2. For the purpose of this notification,—

- (i) "Registered Dealer" means a dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.
- (ii) "Incidental Goods" means the goods, other than raw material and packing material, referred to in clause (b) of sub-section (3) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) for use in the manufacture of goods.

3. A registered dealer who establishes a new industrial unit with an investment in fixed capital of more than,—

- (1) Rupees 100 crores, in case of food and agriculture based processing industry; or
- (2) Rupees 500 crores,

shall be eligible for exemption from payment of entry tax for two more years in addition to the period specified in the Table

4. A registered dealer who establishes a new industrial unit that uses perishables i.e. vegetables, fruits and products of animal origin as specified in Annexure-III as raw material, shall be eligible for exemption from payment of entry tax for two more years in addition to the period specified in the Table

5. An established/existing large and medium scale industrial unit investing a minimum thirty percent of its existing fixed capital investment or minimum rupees fifty crore, whichever is less, in fixed capital investment for capacity expansion/diversification/technical up-gradation, shall be eligible to avail of the facility at par with new industrial unit under this notification in respect of such capacity expansion/diversification/technical up-gradation. Similarly, an established/existing small scale industrial unit investing a minimum fifty percent of its existing fixed capital investment (which should not be less than rupees twenty five lacs) for capacity expansion/diversification/technical up-gradation, shall be eligible to avail of the facility at par with new industrial unit under this notification for such capacity expansion/diversification/technical up-gradation. This facility shall be available only on the additional production over and above the previous installed capacity of the existing industrial unit, failing which Industrial unit will not get benefit under this notification.

**Explanation:**—For the purpose of determination of fixed capital investment, the investment in fixed assets made by a dealer in the expansion/diversification/technical up-gradation in last two years and next one year from the date of production in case of small scale industry, in last three years and next two years from the date of production in case of medium scale industry, and in last three years and next three years from the date of production in case of large scale industry will be taken into account.

6. The exemption under this notification shall be available subject to the following general conditions, namely:

- (i) (a) The dealer shall obtain a permanent eligibility certificate from the officer authorised for the purpose in the form and manner specified in Annexure II specifying inter-alia the goods in respect of which the exemption is available and shall furnish a copy of such certificate to the assessing authority at the time of his assessment.
- (b) A copy of such certificate shall be furnished by the dealer along with his return for the quarter during which such certificate was issued to him.

- (ii) If an eligibility certificate has been issued to a dealer due to mis-representation of facts or on the basis of incorrect or false information furnished by him, the certificate shall be revoked from the date it was issued and thereupon the exemption under the notification shall stand withdrawn and the entire amount of tax in respect of which exemption has been availed of up to the date of cancellation shall be recoverable from the dealer in one instalment.
- (iii) (a) If a dealer establishes a new industrial unit or acquires a sick./closed industrial unit but closes down or deliberately reduces production substantially in an existing industrial unit within the State engaged in production of the same product, the eligibility certificate shall be liable to be cancelled by the committee sanctioning the issue of such certificate and such cancellation shall take effect from the date on which such substantial reduction in production has taken place.
- (b) A substantial reduction in production shall be deemed to have occurred if the production of the same product has fallen below the level of the average production of the preceding 5 years or 60% of the installed capacity, whichever is less.
- (iv) A dealer who opts to avail of exemption under this notification in respect of an industrial unit and who already holds a registration certificate under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 for any other business activity shall, notwithstanding such registration, obtain a separate registration certificate as a manufacturer for such industrial unit.
- (v) The dealer shall keep the industrial unit running during the period of eligibility for exemption and also continue to do so for a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.
- (vi) (a) Without the prior permission in writing of the Industries Commissioner the dealer shall not :—
- (1) change the location of the whole or part of the industrial unit ; or
  - (2) effect any substantial contraction; or
  - (3) dispose of any substantial part of the total capital investment in the industrial unit; or
  - (4) effect any change in the ownership during the period in which the facility of exemption is availed of and also within a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.
- (b) In case a change in ownership is permitted all the rights and liabilities under this notification shall pass on the new owner.
- (vii) The dealer shall provide employment to bona-fide residents of the State of Madhya Pradesh, which shall not be less than fifty percent, during each year of the period of eligibility, of the total number of employees in his industrial unit, and such dealer shall submit an affidavit to the effect along with the last return of each year. Such affidavit may be verified on sample basis by the officers of the Commercial Tax Department.
- (viii) The dealer shall execute an agreement with the Government of Madhya Pradesh in the Commerce and Industries Department.
- (ix) The dealer shall regularly furnish the returns required to be furnished under the Entry Tax Act.
- (x) Every dealer shall maintain a ledger including details of materials purchased in respect the which the facility of exemption from payment of tax is availed of.
- (xi) If the amount of tax in respect of which the facility of exemption is availed of exceeds Rs. 5 lacs in a year the certificate of eligibility shall be valid only if the dealer produces before the appropriate Commercial Tax Officer a certificate of production in the unit in the relevant period duly signed by a Chartered Accountant.

- (xii) (a) A breach of any of the provisions of and conditions in this notification or of any of the provisions of the Entry Tax Act or rules made thereunder or any enactments for the time being in force regarding employment of child labour shall render the eligibility certificate liable for cancellation by the Committee sanctioning the issue of such certificate under this notification.
- (b) If the circumstances so warrant, such cancellation may be given retrospective effect.

#### ANNEXURE—1

A dealer who establishes any of the industrial units specified below, shall not be eligible for exemption from payment of entry tax:

1. Saw Mills
2. Pressing of Iron/Steel scrap into blocks
3. Refining of edible oil
4. Blending or manufacturing of liquor (other than liquor and wine with not more than 15 percent alcohol content, manufactured from grapes).
5. Blending or manufacturing if tea
6. Repacking of any goods
7. Decorticating of chironji and groundnut
8. Separation of tilli husk
9. Crushing of betel nut
10. Preparation of pan bida
11. Chopping of firewood
12. Extraction of collection of gum from trees
13. Collection of tendu leaves
14. Preparation of lassi
15. Veneering and plywood industry
16. Manufacture of bricks (excluding mechanised plants and manufacture of fire bricks)
17. Manufacture of coke and coal briquettes (excluding mechanised plants)
18. Manufacture of boxes of plywood and timber
19. Manufacture of charcoal
20. Purifying of edible salt
21. Repairing of bardana and hessian
22. Manufacture of wood for packing

23. Manufacture of all types of masala (other than packaged masala)
24. Grinding of all types of masala including turmeric, coriander, chillies and other spices (other than packaged masala)
25. Powdering of minerals
26. Manufacture of sutli and rope
27. Manufacture of all types of floor, wall and roofing tiles including kavelu and ridges (khaprel) (other than a mechanised ceramic and stone tiles manufacturing industry established in Stone Park, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees one crore)
28. Stone crushing (breaking of gitti)
29. Manufacture of lac and chapri
30. Printing processes of all types (other than rotogravier/flex printing, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees one crore)
31. Manufacture of Ice
32. Colour laboratories
33. Manufacture of ornaments and other articles of bullion of gold and silver
34. Manufacture of utensils (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees twenty five lacs)
35. Manufacture of wooden and steel furniture
36. Manufacture of windows, doors and their frames
37. Stone cutting and polishing (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees fifty lacs)
38. (i) Galvanizing of iron and steel which is not a part of composite plant or activity and investment in the galvanizing plant and machinery alone is less than rupees one crore.  
(ii) Processing of iron and steel excluding the following manufacturing processes where the industrial unit is established with a capital investment of rupees one crore or more on plant and machinery:—
  - (a) manufacture of steel semis (ingots, slabs, blooms and billets of all qualities, shapes and sizes), wire rods, ingots, moulds, bottom plates, discs, forgings and steel castings and/or steel structurals (angles, joists, channels, tees, Z Section) and steel bars (rounds, squares, flats, octagons and hexagons, plain and ribbed or twisted in coil form as well as straight length), sheets, hoops, strips and skelp, both black and galvanized, hot and cold rolled, plain and corrugated in all qualities, in straight length and in coil forms, rolled and in riveted condition, out of scrap of iron and steel, pig iron, and/or steel semis (ingots, slabs, blooms and billets) and defectives, rejects, cuttings or end pieces of any of the categories of iron and steel as specified in clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
  - (b) manufacture of steel tubes, pipes, sheet piling sections, or any other rolled sections out of cold rolled or hot rolled sheets (whether in straight length or in coil form) and hoops and strips as specified in clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.

- (c) drawing of steel wires out of steel rods.
- (iii) Manufacture of cold rolled sheets (whether in straight length or in coil form) out of hot rolled sheets (whether in straight length or in coil form) by an industrial unit other than the industrial unit which is established with a capital investment of not less than rupees ten crore in plant and machinery.

**Explanation**—Building and other infrastructure shall not be included in plant and machinery.

39. Refining of crude oil as specified in clause (ii c) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 and other petroleum products and its by-products.
40. Public sector undertakings of Government of India and Joint sector units of these undertakings
41. Industrial undertakings wholly owned by Government of India or State Government
42. A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than an industrial unit which is eligible under serial No. 2 in column (2) of the Table)
43. A new industrial unit set-up by transferring, shifting or dismantling or closing an existing unit within the State of Madhya Pradesh (other than an industrial unit, wherein there is no arrears of tax against the existing unit and the products of new unit is different from the products of the existing unit).
44. Cotton ginning and pressing industry excluding mechanised industry with a capital investment of more than rupees one crore in plant and machinery.
45. All types of solvent extraction plants (other than an industrial unit wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees one crore).
46. Manufacture of hydrogenated vegetable oil
47. Manufacture of all types of colour and paints, wherein capital investment plant and machinery is less than rupees one crore.
48. Manufacture of fertilizers excluding bio-fertilizer
49. Manufacture of coolers.
50. Manufacture of pan masala and gutka of all kinds.
51. Manufacture of plastic bags from granules of 20 micron or less.
52. Manufacture of all types of soft drinks other than the drinks based on fruit pulp.
53. Traditional food processing industries of all kinds like Atta mill, Besan mill (other than roller flour mill and roller besan mill), Dali mill, Rice mill, Expeller oil mill, Poha and Murmura industry (other than an industrial unit, where in capital investment in plant and machinery is more than rupees fifty lacs).
54. Manufacture of tobacco products and products based on tobacco.
55. Industrial units undertaking expansion or diversification or modernisation (other than industrial unit which is eligible under paragraph 7 of this notification).
56. Slaughter house and industry based on meat.
57. Industrial units which are declared defaulter of the State Government or any of its undertakings.
58. Such other industries as may be notified by the State Government from time to time.



## ANNEXURE—II

1. (i) A registered dealer who establishes a new industrial unit or acquires a sick/closed industrial unit and is desirous of availing of the facility of exemption from payment of entry tax under this notification shall make an application in Form A to the General Manager, District Trade and Industries Centre of the district wherein such new industrial unit is located. The application shall be made ordinarily within 90 days from the date of commencement of commercial production in the unit.

(ii) Where such an application is made after the aforesaid date and the committee competent to consider such application and to take a decision with regard to the grant of an eligibility certificate, is satisfied that the application could not be submitted by the dealer in time for sufficient reasons, then it may, for reasons to be recorded in writing, condone such delay and consider and dispose off the application on merits.

2. The General Manager, District Trade and Industries Centre receiving the application shall give the acknowledgment in token of the receipt of the application.

3. On receipt of the application the General Manager, District Trade and Industries Centre shall verify the particulars given in the application and submit a report to the District Level Committee or the State Level Committee, as the case may be, within 30 days from the date of the receipt of the application.

4. A copy of the said application shall also be sent by the dealer to his appropriate Commercial Tax Officer of the circle.

5. The appropriate Commercial Tax Officer shall after enquiry and verification of the particulars given in the application, submit his report to the Deputy Commissioner of Commercial Tax in cases relating to micro, small and medium scale industrial units and to the Commissioner of Commercial Tax in the cases relating to the large scale industrial units.

6. State Level Investment Promotion Empowered Committee, and District Level Investment Promotion Empowered Committee constituted by the State Government in pursuance of the provisions of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 shall consider the application made by the dealers for exemption from payment of entry tax under this notification.

7. The quorum for the District Level Investment Promotion Empowered Committee shall be 3, but the quorum shall not be deemed to have been full in the absence of the Member of Commercial Tax Department.

8. The quorum for the State Level Investment Promotion Empowered Committee shall be 4, but the quorum shall not be deemed to have been full in the absence of members of Commercial Tax Department and Finance Department.

9. The District Level Committee shall adjudge the eligibility of micro, small and medium scales industrial units and the State Level Committee shall adjudge the eligibility of large scale industrial units.

10. Application for grant of eligibility certificate made by dealers establishment micro, small and medium scale industrial units shall be considered by the District Level Committee and the eligibility certificate in such cases shall be issued by the General Manager, District Trade and Industries Centre.

11. Application for grant of eligibility certificate made by the dealers establishing large scale industrial units shall be considered by the State Level Committee and the eligibility certificate in such cases shall be issued by the Managing Director, Madhya Pradesh Trade and Investment Facilitation Corporation Limited.

12. (1) The Committee shall ordinarily meet once in a month but meeting may be convened more frequently keeping in view the number of pending application and the Committee may after consideration of each case decide to grant the eligibility certificate or reject the application made therefor or call for additional information.

(2) Every application shall be disposed by the District Level Investment Promotion Empowered Committee or the State Level Investment Promotion Empowered Committee within 120 days of the date of its receipt.

13. The State Level Investment Promotion Empowered Committee shall have full powers either suo motu or on reference, to review its own decision or the decision of the District Level Investment Promotion Empowered Committee or to give direction to the District Level Investment Promotion Empowered Committee with regard to the scope and applicability of the scheme or exemption under this notification. In case of reference against the decision of the District Level Investment Promotion Empowered Committee, the decision taken by the State Level Investment Promotion Empowered Committee shall be final and binding.

14. The District Level Investment Promotion Empowered Committee may review its own decision, but the factual position relating to such cases shall be intimated by it to the State Level Investment Promotion Empowered Committee within 30 days of the date of the decision of review.

#### ANNEXURE—III

##### List of perishables

#### A. Vegetables :

1. Tomato, chilies, onion, ginger, garlic
2. Garden peas
3. Potato,
4. Carrots, radish, beat root, sweet potato, turnips, all capsicums, lettuce, salary, cucumbers
5. Lime, lemon, mint leaf, ginger, ripe tomato
6. Drumsticks
7. Bottle gourds, bitter gourds

#### B. Fruits :

1. Mango (raw and ripe), banana (raw)
2. All season fresh fruits
3. Custard apple
4. Lime, lemon, malta
5. Papaya
6. Bel, ber, goose berry

#### C. Products of Animal origin

1. Milk
2. Eggs, poultry meat
3. Goat meat
4. Fresh water fish, prawns, shrimps etc.

#### FORM - A

**Application for grant of an eligibility certificate for availing of the facility of exemption from payment of entry tax under CTD Notification No. . . . . Dated . . . . .**

I, . . . . . (Name of the dealer) . . . . . of holding TIN . . . . . under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, has established a new industrial unit \*/acquired a sick/closed industrial unit under the name . . . . . located at . . . . . in the district of Madhya Pradesh the particulars whereof are

given below :—

1. No. and date of certificate issued by an authority duly authorised for the purpose by the Commerce and Industries Department of the Government of Madhya Pradesh certifying the industrial unit to be a new industrial unit \*/"Special Package, 2010" sanctioned by the High Level Committee in respect of the industrial unit. ....
2. Installed capacity of the industrial unit .....
3. Capital investment in fixed assets in the new industrial unit \*/industrial unit acquired. ....
4. Old investment in fixed assets in the industrial unit acquired. ....
5. Particulars of goods to be manufactured in the industrial unit. ....
6. Particulars with quantity of goods required each year for consumption or use as raw material or use as incidental goods in the manufacture of other goods and packing material required in the packing of manufactured goods. ....

Description	Name of goods	Quantity
1. Raw material	.....	.....
2. Incidental goods	.....	.....
3. Packing material	.....	.....
7. Date of first purchase of any of the aforesaid raw material.	.....	.....
8. Date of commencement of production in the new industrial unit.	.....	.....

The applicant prays that he may be granted an eligibility certificate in terms of CTD Notification ..... dated ..... for availing of the facility of exemption from payment of entry tax under the said notification.

Place .....

Signature

Date .....

\*Strike out whichever is not applicable

## FORM - B

**Certificate of Eligibility for Exemption of Entry Tax****(Issued under Commercial Tax Department, Government of Madhya Pradesh****Notification No. .... dated .....**)

Certified that the dealer ..... holding TIN ..... date ..... under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, issued by the Commercial Tax Officer ..... Circle is a manufacturer in respect of the new industrial unit\*/ sick/closed industrial unit acquired in the name of ..... having his place of business in local area ..... is eligible to avail of the facility of exemption from payment of entry tax under Commercial Tax Department Notification No. .... dated ..... for a period of ... years commencing from ..... and ending on .....

2. The dealer has established a new industrial unit\*/acquired a sick/closed industrial unit and is eligible for availing of the aforesaid facility in respect of the following raw materials, incidental goods consumed or used in manufacture of other goods and packing material used in the packing of the manufactured goods and the raw materials, incidental goods and packing materials are specified in the registration certificate under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Description	Name of goods	Quantity
1. Raw material	.....	.....
2. Incidental goods	.....	.....
3. Packing materials	.....	.....

3. The dealer has effected the first purchase of any of aforesaid raw materials on .....

4. The dealer has commenced production in the new industrial unit\*/ industrial unit acquired on .....

5. This certificate is valid for the period from ..... to ..... (both days inclusive)

Place .....

Signature .....

Date .....

Designation .....

\*Strike out whichever is not applicable

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (97).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है :—

### सारणी

माल का वर्ग (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है. (2)
प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न सारणी दो में विनिर्दिष्ट माल.	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिये प्रवेश कराया जाए और ऐसे माल का उसके द्वारा तदनुसार उसी क्षेत्र या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के किसी ऐसे दूसरे व्यापारी को, संलग्न प्ररूप में, इस आशय की घोषणा पर विक्रय किया जाता है कि क्रय किया जा रहा माल क्रेता द्वारा उसकी उस औद्योगिक इकाई में जिसके संबंध में उसके पास वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र है, अन्य माल के विनिर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए या संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग के लिए आशयित है.

### परिशिष्ट

#### घोषणा का प्ररूप

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . के अधीन)

मैं, ..... (व्यापारी का नाम) ..... (स्थान) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) ..... का धारक, एतद्द्वारा घोषणा करता हू कि मैंने श्री ..... (विक्रेता का नाम) से, जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) ..... के धारक हैं, वह माल क्रय किया है जिसका विवरण नीचे दिये गया है और उक्त माल मेरे द्वारा मेरी औद्योगिक इकाई में, जो कि ..... नाम से ..... जिले में ..... स्थान पर स्थित है, अन्य माल के विनिर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग या उपयोग के लिये या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिये या संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग के लिए आशयित है.

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि,—

- (एक) मैं उक्त औद्योगिक इकाई के संबंध में जिसकी वैधता . . . . . से . . . . . तक है, पात्रता प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . . तारीख . . . . . धारण करता हूँ;
- (दो) क्रय किया गया माल कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग या उपयोग अथवा आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिये या संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग के लिए, उक्त अधिनियम, के अधीन जारी मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है; तथा
- (तीन) मेरा उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा पात्रता प्रमाण-पत्र उपर्युक्त माल के क्रय किए जाने की तारीख को प्रवर्तन में थे.

**क्रय किए गए माल का विवरण**

*क्रय आदेश/बिल/बीजक/केश-मेमो/ चालान का विवरण क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . (1)	क्रय किए गए माल का वर्णन (2)	मात्रा (3)	मूल्य (रुपये में) (4)
---	------------------------------------	---------------	-----------------------------

कुल

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये . . . . . (शब्दों में) रुपये . . . . . केवल

तारीख . . . . .

स्थान . . . . .

व्यपारी के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (97).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (97) दिनांक 13 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 13<sup>th</sup> December 2010

No. F. A-3-25-2010-1-V(97).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby, exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the Table below from payment of the entry tax under the said Act, subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Table :—

TABLE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods specified in Schedule-II appended to the Entry Tax Act.	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer for sale and such goods are accordingly sold by him to another such dealer of the same or any other local area against a declaration in the appended Form to the effect that the goods being purchased are intended for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in the manufacture of other goods or for use as packing material by the purchaser in his industrial unit in respect of which he hold an eligibility certificate under Commercial Tax Department notification No. . . . . dated . . . . .

APPENDIX  
FORM OF DECLARATION

(Under Commercial Tax Department notification No. . . . . dated . . . . .)

I, . . . . .(name of the dealer) of . . . . . (Place) holding registration certificate No. (TIN) . . . . . under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 hereby declare that I have purchased the goods particulars of which have been given below from . . . . . (Name of the seller) holding registration certificate No. (TIN) . . . . . under the said Act and the said goods are intended for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in the manufacture of other goods or for use as packing material by me in my industrial unit under the name . . . . . located at . . . . . in district . . . . .

I Further declare that,—

- (i) I hold an eligibility certificate No. . . . . dated . . . . . in respect of the said industrial unit which is valid from . . . . . to . . . . .
- (ii) the goods purchased for consumption or use as raw material or for use as incidental goods or for use as packing material are specified in my registration certificate under the said Act, and
- (iii) my aforesaid registration certificate and eligibility certificate were in force on the date of the aforesaid purchase of goods.

**Particulars of goods purchased**

*Particulars of Purchase order/bill/ invoice/cash memo/challan No. . . . .Dt. . . . .	Description of goods purchased	Quantity	Value (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Total			

Total value (in figures) Rs. . . . . (in words) Rs. . . . . only

Place :  
Date :

Signature of the dealer

\*Strike out which is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

क्र. एफ ए-3-25/2010-1-पांच, (98).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा रीति में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

सारणी

अनु- क्रमांक	अधिसूचना क्रमांक तथा दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)

1. 422-6596-पांच-विक, दिनांक 9-2-1977

अनुसूची के पश्चात् तथा उपाबंध-एक के पूर्व, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित

(1)

(2)

(3)

पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“3. (1) मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई है, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिये कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।

(2) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट छूट की कालावधि यथास्थिति अधिग्रहण या पुनर्जीवन की तारीख से प्रारंभ होगी।”

2 ए-3-24-94-विक-पांच (112) दि. 6-10-1994

अनुसूची के पश्चात्,—

(1) पैरा 1-क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“1-ख. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई है, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।

(दो) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट छूट की कालावधि यथास्थिति, अधिग्रहण या पुनर्जीवन की तारीख से प्रारंभ होगी”;

(2) उपाबंध-1 की मद (47) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(47) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो).”

3 ए-3-1-95-विक-पांच (47),  
दिनांक 6-6-1995.

अनुसूची के पश्चात्,—

(एक) पैरा 1-क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“1-ख. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई है, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।



(1)	(2)	(3)
		<p>(2) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट छूट की कालावधि यथास्थिति अधिग्रहण या पुनर्जीवन की तारीख से प्रारंभ होगी.”</p> <p>(दो) परिशिष्ट की मद (47) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—</p> <p>“(47). किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” “या पुनर्जीवन पैकेज”, या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” “या पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो.”.</p>
4	ए-3-68-2004-1-पांच (21) दि. 4-4-2005	<p>(एक) पैरा 2-ख के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“2-ग. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो. अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई है, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिये कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.</p> <p>(2) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट छूट की कालावधि यथास्थिति अधिग्रहण या पुनर्जीवन की तारीख से प्रारंभ होगी”;</p> <p>(दो) उपाबंध-एक की मद (45) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—</p> <p>“(45), किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के समक्ष कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाई और किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो).”.</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (98).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (98), दिनांक 13 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2010

FA-3-25-2010-1-V-(98).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby makes the following further amendments in this Department's notifications specified in column (2) of the Table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No. (1)	Notification No. and date (2)	Amendments (3)
1	422-6596-V-ST, dated 9-2-1977	<p>After the Schedule and before the Appendix I, after para 2, the following para shall be inserted, namely :—</p> <p>“ 3. (1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate.</p> <p>(2) The Period of exemption specified in clause (1) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be.”.</p>
2	A-3-24-94-ST-V (112), dated 6-10-1994	<p>After the Schedule,—</p> <p>(i) After para 1-A, the following para shall be inserted, namely :—</p> <p>“1-B. (1) A registered dealer, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of Eligibility Certificate.</p> <p>(2) The period of exemption specified in clause (1) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be.” ;</p> <p>(ii) For item (47) of Annexure-I, the following item shall be substituted, namely :—</p> <p>“(47) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package” under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010, has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.</p>

(1)	(2)	(3)
3	A-3 (i)-95-ST-V (47), dated 6-6-1995.	After the Schedule,— (i) After para 1-A, the following para shall be inserted, namely :—  “1-B (1) A registered dealer, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Spe- cial package, 2010” or “Revival scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Commit- tee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate.  (2) The Period of exemption specified in clause (1) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be.”.  (ii) For item (47) of Appendix, the following item shall be substituted, namely :—  “(47) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package” under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010, has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.
4	A-3-68-2004-1-V (21), dated 4-4-2005.	(i) After para 2-B, the following para shall be inserted, namely :—  “2-C. (1) A registered dealer, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme ” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of Eligibility Certificate.  (2) The period of exemption specified in clause (1) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be).”.  (ii) For item (45) of Annexure I, the following item shall be substituted, namely :—  “(45) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than an industrial unit which is eligible under serial No. 2 in column (2) of the Schedule and a closed industrial unit in respect of which the “Special Package, 2010” or “Revival Scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010, has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ ए-3-25-2010-1-पांच (99).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव,

- (एक) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17, और
- (दो) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) (जो इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

### सारणी

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक एवं तारीख (2)	संशोधन (3)
1	ए-3-41-81-विक-पांच (35), दिनांक 23-10-1981	<p>अनुसूची के पश्चात्, पैरा 1-क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“1-ख. (1) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है और जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई है, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.</p> <p>(2) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट छूट की कालावधि यथास्थिति, अधिग्रहण या पुनर्जीवन की तारीख से प्रारंभ होगी.”</p>
2	ए-3-11-86-विक-पांच(74), दिनांक 16-10-1986	<p>(एक) अनुसूची के पश्चात् पैरा 1-क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“1-ख (1) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है और जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.”</p>

(1)	(2)	(3)
3	ए-3-1-92-विक-पांच (56), दिनांक 31-3-1992.	<p>(दो) पैरा 2 में,—</p> <p>(क) खण्ड (एक-ख) में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं;</p> <p>(ख) खण्ड (बारह) के उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं;</p> <p>(ग) खण्ड (तेरह) की मद (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—</p> <p>“(ग) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो)।”</p> <p>(एक) अनुसूची के पश्चात् पैरा 1-क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“1-ख. (1) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है और जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई है, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए या वाणिज्यिक कर अधिनियम और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन शेष अनुपयोजित कर की संचित मात्रा की सीमा तक, जो भी पूर्वतर हो, कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.</p> <p>(2) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट छूट की कालावधि यथास्थिति, अधिग्रहण या पुनर्जीवन की तारीख से प्रारंभ होगी.”</p> <p>(दो) पैरा 2 के खण्ड (दो) में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं;</p> <p>(तीन) पैरा 3 में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं.</p>

(1)	(2)	(3)
4	ए-3-1-92-विक-पांच (57), दिनांक 31-3-1992	(एक) अनुसूची के पश्चात् पैरा 1-क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-  “1-ख. (1) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है और जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई है, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए या वाणिज्यिक कर अधिनियम और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन शेष अनुपयोजित कर की संचित मात्रा की सीमा तक, जो भी पूर्वतर हो, कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.  (2) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट छूट की कालावधि यथास्थिति, अधिग्रहण या पुनर्जीवन की तारीख से प्रारंभ होगी.”  (दो) पैरा 2 के खण्ड (दो) में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं;  (तीन) पैरा 3 में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं.
5	ए-3-24-94-विक-पांच (108), दिनांक 6-10-1994	(एक) अनुसूची 2 के पश्चात्, पैरा 1-क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-  “1-ख. (1) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है और जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए या वाणिज्यिक कर अधिनियम और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन शेष अनुपयोजित कर की संचित मात्रा की सीमा तक, जो भी पूर्वतर हो, कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.”  (दो) पैरा 2 के खण्ड (दो) की मद (47) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
6 ए-3-(1)-95-विक-पांच (43), दिनांक 6-6-1995	<p>“(47) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन, “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” मंजूर की गई हो या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो)”.  (तीन) पैरा 4 में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं.  (चार) पैरा 8-क में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं.  (एक) अनुसूची 2 के पश्चात् पैरा 1-क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-  “1-ख. (1) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है और जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए या वाणिज्यिक कर अधिनियम और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन शेष अनुपयोजित कर की संचित मात्रा की सीमा तक, जो भी पूर्वतर हो, कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.”.  (दो) पैरा 3 की मद (47) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :-  “(47) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन, “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” मंजूर की गई हो या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो).”.  (तीन) पैरा 5 में, शब्द, अंक तथा अक्षर “पैरा 1-क और 4” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “पैरा 1-क, 1-ख और 4” स्थापित किए जाएं.  (चार) पैरा 7 में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं;  (पांच) पैरा 10-ख में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं.</p>	

(1)	(2)	(3)
7	ए-3-12-95-विक-पांच (96), दिनांक 7-11-1997	<p>(एक) अनुसूची-2 के पश्चात् पैरा 1-क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-</p> <p>“1-ख. (1) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है और जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए या वाणिज्यिक कर अधिनियम और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन शेष अनुपयोजित कर की संचित मात्रा की सीमा तक, जो भी पूर्वतर हो, कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.”</p> <p>(दो) पैरा 4 में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं;</p> <p>(तीन) पैरा 5 में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं.</p> <p>(चार) पैरा 8-क में, अंक और अक्षर “1-क” के स्थान पर, अंक अक्षर और शब्द “1-क और 1-ख” स्थापित किए जाएं.</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (99).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-25-2010-1-पांच (99), दिनांक 13 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2010

FA-3-25-2010-1-V-(99).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by,—

- (i) Section 17 of the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as the Commercial Tax Act), and
- (ii) sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the Central Act).



the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's notifications specified in column (2) of the Table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1	A-3-41-81-ST-V (35), dated 23-10-1981	<p>After the Schedule, after para 1-A, the following para shall be inserted, namely,—</p> <p>“1-B (1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate.</p> <p>(2) The period of exemption specified in clause (1) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be.”</p>
2	A-3-11-86-ST-V (74), dated 16-10-1986	<p>(i) After the Schedule, after para 1-A, the following para shall be inserted, namely :—</p> <p>“1-B. (1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate.”.</p> <p>(ii) In para 2,—</p> <p>(a) in clause (i-B), for the figure and letter “1-A”, the figures, letters and word “1-A and 1-B” shall be substituted;</p> <p>(b) in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (xii), for the figure and letter “1-A”, the figures, letters and word “1-A and 1-B” shall be substituted;</p> <p>(c) for item C of clause (xiii), the following item shall be substituted, namely :—</p> <p>” C. A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package” under the provisions of</p>

(1)	(2)	(3)
3	A-3-1-92-ST-V(56), dated 31-3-1992.	<p>Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be.”.</p> <p>(i) After the Schedule, after para 1-A, the following para shall be inserted, namely :—</p> <p>“1-B. (1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate or to the extent of cumulative quantum of tax under the Commercial Tax Act and the Central Act remaining unutilised, whichever is earlier.</p> <p>(2) The period of exemption specified in clause (1) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be.”.</p> <p>(ii) In clause (ii) of para 2, for the figure and letter “1-A”, the figures, letters and word “1-A and 1-B” shall be substituted;</p> <p>(iii) In para 3, for the figure and letter “1-A”, the figures, letters and word “1-A and 1-B” shall be substituted.</p>
4	A-3-1-92-ST-V(57), dated 31-3-1992.	<p>(i) After the Schedule, after para 1-A, the following para shall be inserted, namely :—</p> <p>“1-B. (1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate or to the extent of cumulative quantum of tax under the Commercial Tax Act and the Central Act remaining unutilised, whichever is earlier.</p> <p>(2) The period of exemption specified in clause (1) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be.”.</p>

(1)	(2)	(3)
5	A-3-24-94-ST-V(108), dated 6-10-1994.	<p>(ii) In clause (ii) of para 2, for the figure and letter "1-A", the figures, letters and word "1-A and 1-B" shall be substituted;</p> <p>(iii) In para 3, for the figure and letter "1-A", the figures, letters and word "1-A and 1-B" shall be substituted.</p> <p>(i) After the Schedule-II, after para 1-A, the following para shall be inserted, namely :—</p> <p>"1-B. (1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the "Special package, 2010" or "Revival Scheme" has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate or to the extent of cumulative quantum of tax under the Commercial Tax Act and the Central Act remaining unutilised, whichever is earlier."</p> <p>(ii) For item (47) of clause (ii) of para 2, the following item shall be substituted, namely :—</p> <p>"(47) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the "Special package" or "Revival package" under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or "Special package, 2010" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be)."</p> <p>(iii) In para 4, for the figure and letter "1-A", the figures, letters and word "1-A and 1-B" shall be substituted.</p> <p>(iv) In para 8-A, for the figure and letter "1-A", the figures, letters and word "1-A and 1-B" shall be substituted.</p>
6	A-3(1)-95-ST-V(43), dated 6-6-1995.	<p>(i) After Schedule-II, after para 1-A, the following para shall be inserted, namely :—</p> <p>"1-B. (1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the "Special package, 2010" or "Revival Scheme" has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate or to the extent of cumulative quantum of tax under the Commercial Tax Act and the Central Act remaining unutilised, whichever is earlier.”.</p> <p>(ii) For item (47) of para 3, the following item shall be substituted, namely :—</p> <p>“(47) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package” under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010, has been sanctioned by the High Level Committee, or the Empowered committee, as the case may be).”;</p> <p>(iii) In para 5, for the words, figures and letter “para 1-A and 4”, the words, figures and letters “para 1-A, 1-B and 4”, shall be substituted.</p> <p>(iv) In para 7, for the figure and letter “1-A”, the figures, letters and word “1-A and 1-B” shall be substituted.</p> <p>(v) In para 10-B, for the figure and letter “1-A”, the figures, letters and word “1-A and 1-B” shall be substituted.</p>
7	A-3-12-95-ST-V (96), dated 7-11-1997	<p>(i) After the Schedule II, after para 1-A, the following para shall be inserted, namely :—</p> <p>“1-B (1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate or to the extent of cumulative quantum of tax under the Commercial Tax Act and the Central Act remaining unutilised, whichever is earlier.”.</p> <p>(ii) In para 4, for the figure and letter “1-A”, the figures, letters and word “1-A and 1-B” shall be substituted;</p>

(1)	(2)	(3)
		(iii) In para 5, for the figure and letter "1-A", the figures, letters and word "1-A and 1-B" shall be substituted;
		(iv) In para 8-A, for the figure and letter "1-A", the figures, letters and word "1-A and 1-B" shall be substituted;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

क्र. एफ. ए-3-25-2010-1-पांच(100).—(एक) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 80 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ड) के साथ पठित धारा 37; और

(दो) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (3), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक एवं तारीख (2)	संशोधन (3)
1	ए-3-41-1981-विक-पांच(29), दिनांक 1-9-1983 (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1983).	उक्त नियमों में,—  (1) नियम 3 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्, :—  “(4) (क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए कर के भुगतान के आस्थगित करने की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.  (ख) उपरोक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आस्थगन सुविधा की कालावधि, यथास्थिति, अधिग्रहण या पुनर्जीवन की तारीख से प्रारंभ होगी.”

(1)	(2)	(3)
		<p>(2) नियम 14 की मद (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—</p> <p>“(ग) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन, “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” मंजूर किया गया हो या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो).”.</p>
2	<p>ए-3-11-86-विक-पांच(91), दिनांक 30-12-1986. (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1986).</p>	<p>उक्त नियमों में,—</p> <p>(1) नियम 3 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“(4) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के भुगतान के आस्थगित करने की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.;</p> <p>(2) नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “नियम 3 के उपनियम (3)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक “नियम 3 के उपनियम (3) और (4)” स्थापित किए जाएं.;</p> <p>(3) नियम 11 में, अंक तथा शब्द “1986, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” मंजूर किया गया हो, को छोड़कर,” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “1986, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज”, या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, को छोड़कर,” स्थापित किए जाएं.</p>
3	<p>ए-3-24-94-विक-पांच(109), दिनांक 6-10-1994 (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1994).</p>	<p>उक्त नियमों में,—</p> <p>(1) नियम 3 में,—</p> <p>(एक) उपनियम (1) में, खण्ड (ग क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड</p>

(1)

(2)

(3)

अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक के लिए कर के भुगतान के आस्थगित करने की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा;”

(दो) उप-नियम (2) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ग क)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “या खण्ड (ग ख)” स्थापित किये जाएं;”

(2) नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख क) के उपखण्ड (एक) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ग क)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ग क) या खण्ड (ग ख)” स्थापित किये जाएं;”

(3) नियम 11 के खण्ड (ख) में, अंक तथा शब्द “1994, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” मंजूर किया गया हो, को छोड़कर, “के स्थान पर, अंक तथा शब्द” 1994, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज”, या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, को छोड़कर,” स्थापित किए जाएं.

4 ए-3(1) 95-विक-पांच(44),  
दिनांक 6-6-1995  
(मध्यप्रदेश कर के भुगतान का  
आस्थगन नियम, 1995).

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 में,—

(एक) उप-नियम (1) में, खण्ड (ख क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता

(1)	(2)	(3)
		<p>प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, कर के भुगतान के आस्थगित करने की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा.;</p> <p>(दो) उप-नियम (2) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ख क)” के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “या खण्ड (ख ख)” स्थापित किये जाएं.;</p> <p>(2) नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख क) के उपखण्ड (एक) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ख क)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ख क) या खण्ड (ख ख)” स्थापित किये जाएं”;</p> <p>(3) नियम 11 में, अंक तथा शब्द “6.6.95, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” मंजूर किया गया हो, को छोड़कर,” के स्थान पर, अंक तथा शब्द” 6.6.95, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज”, या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, को छोड़कर,” स्थापित किए जाएं.</p>
<p>5 ए-3-12-95-विक-पांच(97), दिनांक 7-11-1997 (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1997).</p>		<p>उक्त नियमों में,—</p> <p>(1) नियम 3 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ख क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“(ख ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्चस्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि समाप्त नहीं हुई हो, कर के भुगतान के आस्थगित करने का पात्र होगा.</p> <p>(2) नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख क) के उपखण्ड (एक) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ख क)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ख क) या खण्ड (ख ख)” स्थापित किये जाएं”;</p> <p>(3) नियम 11 में, अंक तथा शब्द “1994, कोई बंद औद्योगिक इकाई,</p>



(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” मंजूर किया गया हो, को छोड़कर, “के स्थान पर, अंक तथा शब्द” 1994, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में या उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” “पुनर्जीवन पैकेज”, या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो, को छोड़कर,” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (100).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-25-2010-1-पांच (100), दिनांक 13 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2010

No. 3-25-2010-1-V(100).—In exercise of the powers conferred by,—

- (i) sub-section (1) and clause (m) of sub-section (2) of Section 80 read with Section 37 of the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhinyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the Commercial Tax Act); and
- (ii) sub-section (3) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956); the State Government hereby makes the following further amendments in this department's notifications specified in column (2) of the Table below, to the extent and in the manner specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No. (1)	Notification No. and date (2)	Amendment (3)
---------------	----------------------------------	------------------

1	A-3-41-1981-ST-V(29), dated 1-9-1983. (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1983).	In the said Rules,—  (1) After sub-rule (3) of rule 3, the following sub-rule shall be inserted, namely :—  “(4) (a) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial
---	--	--

(1)	(2)	(3)
		<p>unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of deferment of payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to defer the payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate.</p> <p>(b) The period of deferment facility specified in clause (a) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be.”.</p> <p>(2) For item (C) of rule 14, the following item shall be substituted, namely :—</p> <p>“(C) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package” under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.</p>
2	A-3-11-86-ST-V(91), dated 30-12-1986 (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1986).	<p>In the said Rules,—</p> <p>(1) After sub-rule (3) of rule 3, the following sub-rule shall be inserted, namely :—</p> <p>“(4) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of deferment of payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to defer the payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate.”.</p> <p>(2) In sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4, for the words, bracket and figures “sub-rule (3) of rule 3”, the words, brackets and figures “sub-rule (3) and (4) of rule 3” shall be substituted.”;</p> <p>(3) In rule 11, for the figures and words “1986, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package, or “Revival package” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004“, the figures and words “1986, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package”</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010, has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be” shall be substituted.</p>
3	<p>A-3-24-94-ST-V(109), dated 6-10-1994 (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1994).</p>	<p>In the said rules,—</p> <p>(1) In rule 3,—</p> <p>(i) in sub-rule (1), after clause (c a), the following clause shall be inserted, namely :—</p> <p>“(c b) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of deferment of payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to defer the payment of tax.”;</p> <p>(ii) in sub-rule (2), after the word, bracket and letters “clause (ca)”, the words, bracket and letters “or clause (cb)” shall be inserted.</p> <p>(2) in sub-clause (i) of clause (ba) of sub-rule (1) of rule 4, for the word, bracket and letters “clause (ca)”, the words, brackets and letters “clause (ca) or clause (cb)” shall be substituted.”;</p> <p>(3) in clause (b) of rule 11, for the figures and words “1994, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package”, or “Revival package” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004, the figures and words 1994, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package” under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010, has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be” shall be substituted.</p>
4	<p>A-3(1)-95-ST-V(44), dated 6-6-1995 (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1995).</p>	<p>In the said rules,—</p> <p>(1) In rule 3,—</p> <p>(i) in sub-rule (1), after clause (ba), the following clause</p>

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

shall be inserted, namely :—

“(b b) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of deferment of payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to defer the payment of tax.”;

(ii) in sub-rule (2), after the word, bracket and letter “clause (b a)”, the words, bracket and letters “or clause (b b)” shall be inserted.;

(2) in sub-clause (i) of clause (b a) of sub-rule (1) of rule 4, for the word, bracket and letters “clause (b a)”, the words, brackets and letters “clause (b a) of clause (b b)” shall be substituted.”;

(3) In rule 11, for the figures and words “6-6-95, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package”, or “Revival package” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004”, the figures and words “6-6-95, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package” under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010, has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be shall be” substituted.

5 A-3-12-95-ST-V(97),  
dated 7-11-1997  
(Madhya Pradesh Deferment  
of Payment of Tax Rules, 1997).

In the said rules,—

(1) in rule 3, in sub-rule (1), after clause (b a), the following clause shall be inserted, namely :—

“(b b) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of deferment of payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to defer the payment of tax.”;

(2) in sub-clause (i) of clause (b a) of sub-rule (1) of rule 4, the word, bracket and letters “clause (b a)”, the words, brackets and letters “clause (b a) or clause (b b)” shall be substituted.”;

(1)	(2)	(3)
		(3) In rule 11, for the figures and words “1994, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package”, or “Revival package” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004”, the figures and words “1994, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package” under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010, has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. ए-3-25-2010-1-पांच(101).—(एक) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17; और

(दो) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेशकर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारी को, सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियमों के उपबंधों से उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन एवं शर्तों के अधधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है :—

### सारणी

व्यापारी का नाम (1)	उपबंध (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधधीन रहते हुए छूट दी गई है (3)
------------------------	--------------	---

कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को अधिगृहीत या पुनर्जीवित किया है जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2010” या “पॉलिसी पैकेज, 2010” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई है.

वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 32 के अधीन ब्याज तथा शास्ति से संबंधित उपबंध तथा प्रवेशकर अधिनियम के समान सुसंगत उपबंध भी लागू होंगे.

- (1) यदि किसी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निर्धारित वाणिज्यिक कर और/या प्रवेशकर (जिसमें निर्धारण आदेश में उद्गृहीत ब्याज और/या शास्ति सम्मिलित है) के ऐसे शोध्य, जो
- (एक) “विशेष पैकेज, 2010” की दशा में अधिग्रहण की तारीख को शोध्य हैं, या
- (दो) “पॉलिसी पैकेज, 2010” की दशा में पैकेज की मंजूरी की तारीख या कट ऑफ डेट को शोध्य हैं,

का भुगतान औद्योगिक इकाई पर अधिकारिता रखने वाले वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित रूप में, यथास्थिति, अधिग्रहण या मंजूरी आदेश की तामीली की तारीख से तीन माह के भीतर कर दिया जाता है.

या

(1)	(2)	(3)
		<p>(2) (क) यदि औद्योगिक इकाई पर अधिकारिता रखने वाले वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित निर्धारित वाणिज्यिक कर और/या प्रवेशकर के ऐसे शोध्य (जिसमें ब्याज/शास्ति सम्मिलित है) के भुगतान की सुविधा,—</p> <p>(एक) जो अधिग्रहण तारीख को “विशेष पैकेज, 2010” की दशा में किसी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध शोध्य हैं छह समान अर्द्ध-वार्षिक किशतों में, या</p> <p>(दो) जो पैकेज मंजूरी की तारीख या कट ऑफ डेट को “पॉलिसी पैकेज, 2010” की दशा में, किसी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध शोध्य हैं अधिकतम छत्तीस समान मासिक किशतों में, या</p> <p>(तीन) जो पैकेज मंजूरी की तारीख को, “पुनर्जीवन योजना” की दशा में, किसी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध शोध्य हैं, छत्तीस समान मासिक किशतों या बारह समान त्रैमासिक किशतों में दी गई है, तो इस अधिसूचना के अधीन छूट उद्गृहणीय ब्याज/शास्ति के संबंध में किशत सुविधा की कालावधि के लिये उपलब्ध होगी.</p> <p>(ख) इस अधिसूचना के अधीन छूट “विशेष पैकेज, 2010” की दशा में, किशत के भुगतान में विलम्ब की कालावधि के लिए उद्गृहणीय ब्याज/शास्ति के संबंध में उस सीमा तक उपलब्ध होगी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की प्रचलित प्राईम लेण्डिंग दर से अधिक है.</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (101).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-25-2010-1-पांच (101), दिनांक 13 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2010

FA-3-25-2010-1-V-(101).—In exercise of the powers conferred by,—

- (i) Section 17 of the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as the Commercial Tax Act), and
- (ii) Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), (hereinafter referred to as the Entry Tax Act),

the State Government, hereby exempts the dealer specified in column (1) of the Table below from the provisions of the said Acts specified in column (2), subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

Name of the dealer (1)	Provisions (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Registered dealer who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special Package, 2010” or “Policy Package, 2010” or “Revival Scheme” has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010.	Provisions relating to interest and penalty under Section 32 of the Commercial Tax Act and also similar relevant provisions of the Entry Tax Act.	<p>(1) If assessed commercial tax and/or entry tax (including interest and/or penalty levied in the assessment order) due against the industrial unit as on the date of,</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) acquisition, in case of “Special Package, 2010”, or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) sanction of the package or the cut off date, in case of “Policy Package, 2010”,</p> <p>as certified by the Commercial Tax Officer having jurisdiction over the industrial unit, is paid within three months from the date of acquisition or the date of service of the sanction order, as the case may be.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(2) (a) If the facility to pay the assessed commercial tax and/or entry tax (including interest/penalty) as certified by the Commercial Tax Officer having jurisdiction over the industrial unit, —</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) in case of “Special Package, 2010”, due against the industrial unit as on the date of acquisition, in six equal half yearly installments, or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) in case of “Policy Package, 2010”, due against the industrial unit as on the date of sanction of the package or the cut off date, in maximum thirty six equal monthly installments, or</p>

(1)

(2)

(3)

(iii) in case of "Revival Scheme", due against the Industrial unit as on the date of sanction of the package, in thirty six equal monthly installments or twelve equal quarterly installments,

is given, the exemption under this notification shall be available in respect of the interest/penalty leviable, for the period of Installment facility.

(b) The exemption under this notification shall be available in respect of the interest/penalty leviable for the period of delay in payment of installments, in case of "Special Package, 2010", to the extent which is in excess of the prevailing Prime Lending Rate (P.L.R.) of State Bank of India.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.